PROPOSED LAY OUT PLAN OF "VRB PRIME"

UNDER KHASRA NO.- 790/200, 787/201.
AT VILLAGE :- BINDAYKA, TEH.:- JAIPUR & JAIPUR.

965/B 11.1.22.

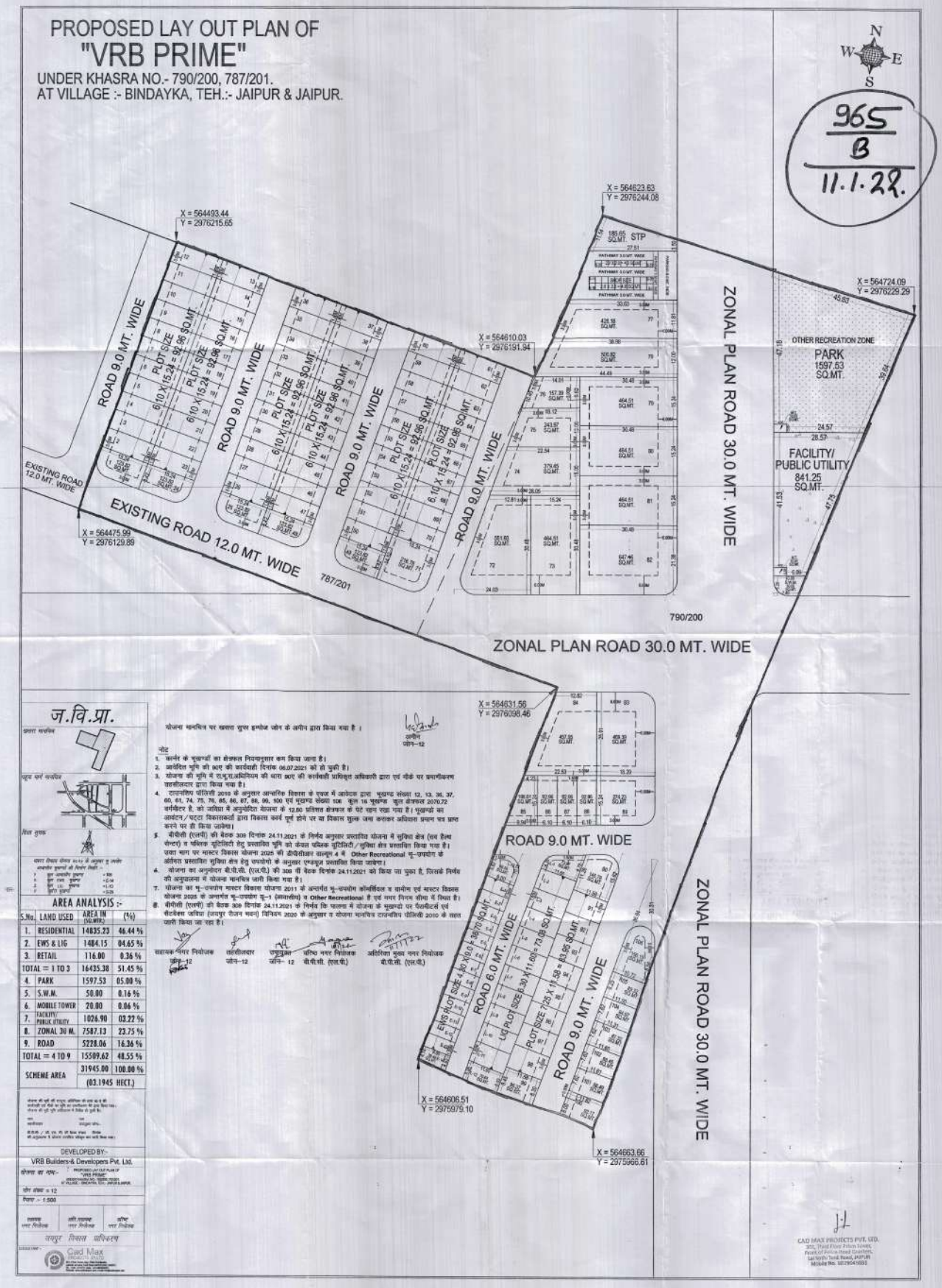

AREA ANALYSIS :-

S.No.	LAND USED	AREA IN (SQ.MT.)	(%)
1.	RESIDENTIAL	14835.23	46.44 %
2.	EWS & LIG	1484.15	04.65 %
3.	RETAIL	116.00	0.36 %
TOTAL = 1 TO 3		16435.38	51.45 %
4.	PARK	1597.53	05.00 %
5.	S.W.M.	50.00	0.16 %
6.	MOBILE TOWER	20.00	0.06 %
7.	FACILITY/ PUBLIC UTILITY	1026.90	03.22 %
8.	ZONAL 30 M.	7587.13	23.75 %
9.	ROAD	5228.06	16.36 %
TOTAL = 4 TO 9		15509.62	48.55 %
SCHEME AREA		31945.00	100.00 %
		(03.1945 HECT.)	

नोट

1. कालर के भूखण्डों का क्षेत्रफल नियमानुसार कम किया जाता है।
2. आवंटित भूमि को 90% की कार्यवाही दिनांक 06.07.2021 को हो चुकी है।
3. योजना की भूमि में 33 kV लाइन/ट्रांसमिशन की भार 90% की कार्यवाही प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एवं मौके पर प्रमाणीकरण उपखण्ड अधिकारी द्वारा किया गया है।
4. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार आन्तरिक विकास के एवज में आवेदक द्वारा भूखण्ड संख्या 12, 13, 36, 37, 60, 61, 74, 75, 76, 85, 86, 87, 88, 99, 100 एवं भूखण्ड संख्या 106 कुल 16 भूखण्ड कुल क्षेत्रफल 2070.72 वर्गमीटर है, को जमा में अनुमोदित योजना के 12.50 प्रतिशत क्षेत्रफल के पेटे रहन रखा गया है। भूखण्डों का आवंटन/पट्टा विकासकर्ता द्वारा विकास कार्य पूर्ण होने पर या विकास शुल्क जमा कराकर अधिशाषी प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर ही किया जायेगा।
5. बीपीसी (एलपी) की बैठक 309 दिनांक 24.11.2021 के निर्णय अनुसार प्रस्तावित योजना में सुविधा क्षेत्र (सब हैल्थ सेन्टर) व पब्लिक यूटिलिटी हेतु प्रस्तावित भूमि को ओपन पब्लिक यूटिलिटी/सुविधा क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। उक्त भाग पर मास्टर विकास योजना 2025 की डीपीसीआर वाल्यूम 4 में Other Recreational भू-उपयोग के अंतर्गत प्रस्तावित सुविधा क्षेत्र हेतु उपयोगों के अनुसार एण्कलूज प्रस्तावित किया जायेगा।
6. योजना का अनुमोदन बी.पी.सी. (एल.पी.) की 308 वीं बैठक दिनांक 24.11.2021 को किया जा चुका है, जिसके निर्णय की अनुपालना में योजना मानचित्र जारी किया गया है।
7. योजना का भू-उपयोग मास्टर विकास योजना 2011 के अन्तर्गत भू-उपयोग कॉन्वर्सिबल व सामीप एवं मास्टर विकास योजना 2025 के अन्तर्गत भू-उपयोग भू-1 (आवासीय) व Other Recreational है एवं नगर निगम सीमा में स्थित है।
8. बीपीसी (एलपी) की बैठक 309 दिनांक 24.11.2021 के निर्णय कि पालना में योजना के भूखण्डों पर पैरामीटर्स एवं सेटबैक्स जयपुर रीजन भवन) विनियम 2020 के अनुसार व योजना मानचित्र टाउनशिप पॉलिसी 2010 के तहत जारी किया जा रहा है।

योजना मानचित्र पर खसरा सुपर इम्पोज जोन के अमीन द्वारा किया गया है।

अमीन
जोन-12

सहायक नगर नियोजक जोन-12 | तहसीलदार जोन-12 | उपखण्ड अधिकारी जोन- 12 | वरिष्ठ नगर नियोजक बी.पी.सी. (एल.पी.) | अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक बी.पी.सी. (एल.पी.)

DEVELOPED BY:-
VRB Builders & Developers Pvt. Ltd.

योजना का नाम:- PROPOSED LAY OUT PLAN OF "VRB PRIME" UNDER KHASRA NO.- 790/200, 787/201 AT VILLAGE - BINDAYKA, TEH.- JAIPUR & JAIPUR.

शीट संख्या :- 12

स्केल :- 1:500

सहायक नगर नियोजक | अति. सहायक नगर नियोजक | अधिष्ठाता नगर नियोजक

जयपुर विकास प्राधिकरण

Cad Max PROJECTS PVT. LTD.
301, Third Floor Prism Tower, Road of Ashok Nagar Quadrant, Tonk Road, JAIPUR
Mobile No. 9829045691